संख्या-749/2021/4827/41-1099/64/2021

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ:: दिनांक 30 दिसम्बर, 2021

विषय:- जनपद गोरखपुर में स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट (एस.आई.एच.एम.) की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2918/2-9(816)/(एस.आइ.एच.एम.)/गोरखपुर/2021**,** दिनांक 15.09.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद गोरखपुर में स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट (एस.आई.एच.एम.) की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि पर्यटन विकास और रोजगार सृजन में हॉस्पिटैलिटी उद्योग की विशेष भूमिका है। हॉस्पिटैलिटी उद्योग सिर्फ व्यवसाय नहीं, अपितु एक ऐसे उद्योग के रूप में विकसित हुआ है जहाँ "आतिथ्य सत्कार" तथा "अतिथि देवोभवः" के सिद्धांत पर काम होता है। वर्तमान परिवेश में अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों की सोच, रहन-सहन, खान-पान और घूमने-फिरने की आदत में व्यापक बदलाव हुआ है। पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुख सुविधाओं की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के दृष्टिगत सभी छोटे-बड़े शहरों, कस्बों में होटल उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। इस उद्योग में विदेशी मुद्रा कोष अर्जन, पर्यटन तथा रोजगार में विकास की असीम सम्भावनायें है। इसी के दृष्टिगत योग्य और प्रशिक्षित पेशेवर युवाओं की आवश्यकता है। सम्पूर्ण विश्व में पर्यटकों व उद्यमियों का आना-जाना होता है। लोगों की मानसिकता, जीवन शैली, स्वास्थ्य के प्रति सजगता तथा उसके अनुरूप खान-पान, रहन-सहन में काफी बदलाव आया है। हॉस्पिटैलिटी उद्योग इसके प्रति अत्यंत संवेदनशील तथा सजग है तथा इस उद्योग के संचालन व विकास में विश्वव्यापी मानकों का समावेश करना अत्यन्त आवश्यक है। भारत वर्ष में विदेशी व्यंजन तथा विदेशों में भारतीय व्यंजन की लोकप्रियता भी इस उद्योग की खासियत है, जिससे युवाओं को देश-विदेश में रोजगार प्राप्त होता है। भारत सरकार ने भी कुशल होटल प्रबंधन के लिए विभिन्न शिक्षण संस्थान खोले हैं। साथ ही निजी क्षेत्र में भी होटल प्रबंधन संस्थान खुले हैं। इन संस्थानों में हजारों युवक-युवतियाँ विभिन्न ट्रेड में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डिग्री हेतु प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त युवा अपनी दक्षता तथा कार्य कुशलता के आधार पर देश-विदेश में सम्मानजनक वेतन/स्वव्यवसाय पर आजीविका अर्जित करने में सफल होते हैं, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार संभव हो पाता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- गोरखपुर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का केन्द्र बिन्दु है तथा पड़ोसी देश नेपाल तथा पड़ोसी राज्य बिहार से लगा हुआ है। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पर्यटक स्थल हैं जहाँ देश-विदेश से प्रति वर्ष लाखों पर्यटक आते हैं। इस क्षेत्र के पर्यटन विकास के लिए अनेक ब्रान्डेड समूहों के होटल उद्योग स्थापित हुए हैं। इस उद्योग में प्रशिक्षित व पेशेवर युवाओं की आवश्यकता है। जनपद गोरखपुर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना किये जाने से क्षेत्र के युवाओं को होटल प्रबंधन में कुशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाएगा। प्रतिवर्ष लगभग 1700 से अधिक युवक/युवतियों को परास्नातक डिग्री, परास्नातक डिप्लोमा, स्नातक डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट एवं कौशल विकास पाठ्यक्रमों को मिलाकर कुल 17 प्रकार के कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाना सम्भव हो सकेगा।

''आत्मनिर्भर भारत'' एवं ''आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश'' के तहत पर्यटन आतिथ्य उद्योग के बहुमुखी विकास एवं रोजगारपरक कौशल विकास शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। इसे अग्रेतर प्रोत्साहन देने हेतु होटल आतिथ्य-प्रबन्धन एवं खान-पान तकनीक क्षेत्र के उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इससे बड़े पैमाने पर प्रदेश के युवाओं को आतिथ्य/ट्रेवल एण्ड टूरिज्म के क्षेत्र, स्टार्टअप एवं स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगें, क्योंकि अन्य उद्योगों की तुलना में होटल एवं खान-पान उद्योग तीव्रगति से विकसित हो रहे हैं। भारत का ट्रेवल ट्रेड सेक्टर विश्व के 7वें स्थान पर है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 9.6 प्रतिशत है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में भारत का पर्यटन उद्योग, विश्व के दूसरे स्थान पर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वाराणसी एंव कुशीनगर अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, एक्सप्रेस-वे, फिल्मसिटी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इत्यादि विकास कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कराये जा रहे है, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आतिथ्य/खान-पान एवं ट्रेवल एण्ड टूरिज्म उद्योग के क्षेत्र में पेशेवर कुशल मैनपावर की मांग बढ़ेगी, जिसकी पूर्ति प्रस्तावित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट द्वारा की जा सकेगी।

4- जनपद गोरखपुर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट की स्थापना किये जाने हेतु नेशनल काउन्सिल फॉर होटल मैनेजमेन्ट एण्ड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, नोएडा की सम्बद्धता प्राप्त की जानी होगी और उनके अकादमिक एवं प्रशासनिक प्राविधानों को अंगीकृत किया जाना होगा। भारत सरकार के मानकों के अनुरूप इसके नवीन भवन का निर्माण भी किया जाना होगा, जिससे इस योजना हेतु भारत सरकार से रू0 16.50 करोड़ का वित्तीय अनुदान भी प्राप्त किया जा सकेगा।

5- अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद गोरखपुर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद की दिनांक 25.12.2021 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :-

(क) जनपद गोरखपुर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट की स्थापना किया जाना है। इस हेतु पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गोरखपुर में एस.आई.एच.एम. की स्थापना हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति अपने पत्र संख्या-73(i)/2007-HRD, दिनांक 07.09.2021 के द्वारा प्रदान कर दिया गया है। भारत सरकार द्वारा इस हेतु रू0 16.50 करोड़ का वित्तीय अनुदान प्रदान किया जायेगा, जिसमें रू0 10.00 करोड़ भवन निर्माण, रू0 4.00 करोड़ छात्रावास निर्माण एवं रू0 2.50 करोड़ की धनराशि उपकरणों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

के क्रय हेतु प्राप्त होगा तथा आवश्यकतानुसार योजना की अवशेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(ख) जनपद गोरखपुर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट (S.I.H.M.) की स्थापना हेतु गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के द्वारा गोरखपुर-सहजनवां मार्ग पर स्थित गीडा क्षेत्र के अन्तर्गत 6.145 एकड़ उपयुक्त भूमि चिन्हांकित की गई है, जिसके प्लाट का नक्शा तथा फोटोग्राफ मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पत्र सं0-1993/सम्पत्ति-नौ/SIHM-GKP/2021-22, दिनांक 15.09.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। इस भूमि के मूल्य का भुगतान पर्यटन विभाग द्वारा नियमानुसार गीडा को किया जायेगा।

(ग) स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, गोरखपुर के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अंतर्गत पंजीकरण हेतु सोसाइटी की रूप-रेखा का प्रस्ताव निम्नवत् हैः-

1	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	पदेन अध्यक्ष
2	महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।	पदेन सदस्य
3	संयुक्त सचिव या संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी (एच.आर.डी. डिवीजन), पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, या उनके द्वारा नामित सदस्य	पदेन सदस्य
4	सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	पदेन सदस्य
5	निदेशक, प्रशासन एवं वित्त, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेकनोलोजी, (नोएडा) उत्तर प्रदेश।	पदेन सदस्य
6	निदेशक, हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।	पदेन सदस्य
7	क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग, गोरखपुर, उ0प्र0।	पदेन सदस्य
8	प्राचार्य, इंस्टिट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, लखनऊ, उ0प्र0।	पदेन सदस्य
9	प्राचार्य, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट/स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, अलीगढ़।	पदेन सदस्य
10	होटल व्यवसाय का विशेषज्ञ/प्रतिनिधि जो किसी तीन सितारा से पांच सितारा होटल में H.O.D. स्तर से कम ना हो।	पदेन सदस्य
11	प्राचार्य, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, गोरखपुर, उ0प्र0।	पदेन सदस्य/सचिव

(घ) प्रश्नगत प्रकरण में अग्रतर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

6- जनपद गोरखपुर में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट (S.I.H.M.) की स्थापना हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जायेगा :-

" जनपद गोरखपुर में स्थापित होने वाले स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेन्ट (एस.आई.एच.एम.) में पद के सृजन हेतु यथासमय पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।"

अत: कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रत्तर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0 प्र0 शासन।
2. मुख्य सचिव, उ0 प्र0 शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0 प्र0 लखनऊ।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0 प्र0।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग/न्याय विभाग, उ0 प्र0 शासन।
6. मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, गोरखपुर।
7. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गोरखपुर।
8. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
10. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।